

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-23062025-264051
SG-DL-W-23062025-264051प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4]	दिल्ली, जून 13—जून 19, 2025, बृहस्पतिवार/ ज्येष्ठ 23— ज्येष्ठ 29, 1947	[रा.रा.क्षे.वि. सं. 97, 98
No. 4]	DELHI, JUNE 13—JUNE 19, 2025, THURSDAY/ JYAISTHA 23— JYAISTHA 29, 1947	[N.C.T.D. No. 97, 98

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जून, 2025

फा10 सं0 3/2/2023—न्यायिक/पार्ट फाइल—I/अधी0विधि/1091—1094.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 की धारा 6 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा बैपटिस्ट ट्रिनिटी चर्च, 53ए, टेनमेन्ट—III, आरबीटीबी अस्पताल, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली से संबद्ध जॉर्ज थॉमस, को क्रिश्चियन विवाह लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय क्रिश्चियनों के मध्य विवाह संपन्न कराए जा सकें तथा विवाह का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके, जो तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अनिता दयाल, उप-सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 19th June, 2025

F. No. 3/2/2023-Judl./PF.-I/Suptlaw/1091-1094.—In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord approval to grant of Christian Marriage License to George Tomes attached to the Baptist Trinity Church, 53 A, Tenament-III, RBTB Hospital, Kingsway Camp, Delhi to solemnize marriages between Indian Christians within the National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage for a period of three years with immediate effect.

By order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANITA DAYAL, Deputy Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जून, 2025

फा0 सं0 3/1/2022—न्यायिक/अधी0विधि/1095—1098.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 की धारा 6 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड, ए-13, गली नम्बर-1, दूसरा तल, प्लॉट नम्बर-10, कोटला ग्राम, मयुर विहार, फेज-I, दिल्ली से संबद्ध वरिष्ठ पादरी रेवरेंड राजशेखरन के., को क्रिश्चियन विवाह लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय क्रिश्चियनों के मध्य विवाह संपन्न कराए जा सकें तथा विवाह का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके, जो दिनांक 30.03.2025 से दिनांक 29.03.2028 तक आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अनिता दयाल, उप-सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 19th June, 2025

F. No. 3/1/2022-Judl./ Suptlaw/1095-1098.—In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord approval to grant of Christian Marriage License to Rev. Rajasekharan K, Senior Pastor, attached to Trinity Church of God, A-13, Street No. 1, 2nd Floor, Plot No. 10, Kotla Village, Mayur Vihar Phase-I, Delhi to solemnize marriages between Indian Christians within the National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage for a further period of three years with effect from 30.03.2025 to 29.03.2028.

By order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANITA DAYAL, Deputy Secy.